

**न्यायालय:-व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बैहर के अतिरिक्त व्यवहार**  
**न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)**  
**(पीठासीन अधिकारी:-सिराज अली)**

व्य.वाद क्र.-43ए/2013

प्रस्तुति दिनांक-12.07.2013

फाई.क्र.234503004112013

लुकराम पिता स्व. चन्दूलाल, उम्र-52 वर्ष, जाति पंवार,  
 निवासी-ग्राम सिंघई, प.ह.नं. 23 रा.नि.मं. उकवा,  
 तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

----- वादी

**बनाम**

1-शंकरलाल पिता स्व. शम्भूलाल, उम्र-55 वर्ष, जाति पंवार,  
 निवासी-ग्राम सिंघई, प.ह.नं. 23 रा.नि.मं. उकवा,  
 तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

2-राधेलाल पिता स्व. शम्भूलाल, उम्र-46 वर्ष, जाति पंवार,  
 निवासी-ग्राम सिंघई, प.ह.नं. 23 रा.नि.मं. उकवा,  
 तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

3-झुम्मुकलाल पिता स्व. शम्भूलाल, उम्र-40 वर्ष, जाति पंवार,  
 निवासी-ग्राम सिंघई, प.ह.नं. 23 रा.नि.मं. उकवा,  
 तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

4-रेवाराम पिता शंकरलाल, उम्र-30 वर्ष, जाति पंवार,  
 निवासी-ग्राम सिंघई, प.ह.नं. 23 रा.नि.मं. उकवा,  
 तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

5-मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, बालाघाट  
 जिला बालाघाट(म.प्र.)

----- प्रतिवादीगण

**:- / / निर्णय / / :-**

**(आज दिनांक-30/06/2015 को घोषित)**

1- वादी ने यह व्यवहार वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध मौजा सिंघई प.ह.नं. 23 रा.नि.मं. उकवा स्थित खसरा नंबर 7/1 रकबा 5.45 एकड़/2.207 हेक्टेअर भूमि (जिसे आगे विवादित भूमि के नाम से सम्बोधित किया जायेगा) पर प्रतिवादीगण के द्वारा हस्तक्षेप करने से रोकने स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया है।

2- प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य कुछ नहीं है।

3- वादी का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित भूमि के उत्तर में दिलीप बिसेन व कपूरचंद की भूमि, दक्षिण में वादी की शेष बचत भूमि, पूर्व में नवलकिशोर की भूमि तथा पश्चिम में मूलचंद की भूमि स्थित है। उक्त भूमि को वादी ने पैतृक भूमि के विभाजन में वर्ष 1984-85 से प्राप्त कर लगातार काबिज काशत चले आ रहा है। प्रतिवादी क्रमांक-1 से 4 ने दिनांक-05.07.13 को एक राय होकर विवादित भूमि पर जबरन कब्जा करने के आशय से जुताई करने पर वादी ने मना किया, जिस पर सभी प्रतिवादीगण एकराय होकर वादी को मारपीट करने की धमकी देने लगे। वादी ने विवादित भूमि पर हस्तक्षेप करने से रोकने हेतु प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा चाही है।

4- प्रतिवादी क्रमांक-1 से 4 ने लिखित कथन में वादपत्र के संपूर्ण अभिवचन से इंकार करते हुए अभिवचन किया है कि विवादित भूमि से लगी हुई उत्तर दिशा में प्रतिवादी क्रमांक-1 से 3 एवं उनके भाई उदेलाल की खसरा नंबर 4/1 रकबा 11.01 एकड़ भूमि लगी हुई है, दक्षिण में वादी की शेष बचत भूमि, पूर्व में पी.डब्लू.डी सड़क, पश्चिम में मूलचंद की भूमि स्थित है। वादी ने विवादित भूमि की गलत चतुर्सीमा प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण की खसरा नंबर 4/1 की भूमि को अपनी भूमि बताकर दावा पेश किया गया है। प्रतिवादीगण के द्वारा वादी की विवादित भूमि या खसरा नंबर 4/9 पर किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है। अतएव वादी का वाद सव्यय निरस्त किया जावे।

5- प्रतिवादी क्रमांक-5 प्रकरण में एकपक्षीय है तथा उनकी ओर से लिखित कथन पेश नहीं है।

6- उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में निम्नलिखित वादप्रश्न विरचित किये गये, जिनके निष्कर्ष उनके समक्ष निम्नानुसार अंकित है :-

क्रं.	वाद-प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या मौजा सिंघई प.ह.नं. 23, रा.नि.मं उकवा, तहसील बैहर जिला बालाघाट स्थित खसरा नं-7/1 रकबा 5.45 एकड़ भूमि पर वादी के विधिपूर्ण आधिपत्य में प्रतिवादी क्रमांक-1 से 4 के द्वारा हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है ?	प्रमाणित नहीं

2	सहायता एवं व्यय ?	निर्णय की अंतिम कांडिका अनुसार
---	-------------------	-----------------------------------

**—:: सकारण निष्कर्ष ::—**

**वादप्रश्न क्रमांक-1 का निराकरण**

7— यह साबित करने का भार वादी पर है कि उसके आधिपत्य की विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण के द्वारा अवैध रूप से हस्तक्षेप किया जा रहा है। वादी ने अपने समर्थन में विवादित भूमि का राजस्व नक्शा प्रदर्श पी-1, विवादित भूमि के किश्तबंदी खतौनी वर्ष 2012-13 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-2, विवादित भूमि के खसरा फार्म वर्ष 2012-13 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-3 एवं प्रदर्श पी-4 पेश की है, जिसके अवलोकन से यह प्रकट होता है कि विवादित भूमि खसरा नंबर 7/1 पर वादी का नाम भूमि स्वामी के रूप में दर्ज है। प्रतिवादीगण ने पांचशाला खसरा फार्म वर्ष 2011-2012 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श डी-7 पेश की है, जिसमें खसरा नंबर 4/1 पर प्रतिवादी क्रमांक-1 से 3 का नाम भूमि स्वामी के रूप में दर्ज है।

8— प्रतिवादीगण की ओर से पक्ष समर्थन में राजस्व नक्शा की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श डी-1 पेश की गई है, जिसमें विवादित भूमि खसरा नंबर 7/1 एवं प्रतिवादीगण की खसरा नंबर 4 की भूमि आपस में लगी होना दर्शाया गया है, जबकि वादी की ओर से प्रस्तुत राजस्व नक्शा प्रदर्श पी-1 में विवादित भूमि से प्रतिवादीगण की भूमि लगी होना दर्शित नहीं किया गया है। यद्यपि वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व नक्शा प्रदर्श पी-1 में विवादित भूमि के उत्तर दिशा की ओर जिस स्थान को बिना खसरा नंबर के दर्शित किया गया है, उसी स्थान में प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत राजस्व नक्शा की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श डी-1 में प्रतिवादीगण के मूल खसरा नंबर 4 की भूमि दर्शित की गई है। इसके अलावा प्रतिवादीगण ने राजस्व नक्शा की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श डी-2 भी पेश किया है, जो भिन्न स्थिति को दर्शित करता है। इस प्रकार उभयपक्ष की भूमि के राजस्व नक्शे में भिन्नता होना उभयपक्ष के मध्य विवाद का मुख्य कारण होना प्रकट होता है।

9— प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत सीमांकन प्रतिवेदन की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श डी-4 के अनुसार राजस्व निरीक्षक उकवा के द्वारा तहसीलदार परसवाड़ा को प्रस्तुत सीमांकन प्रतिवेदन में यह उल्लेखित किया गया है कि पटवारी नक्शा में

प्रतिवादीगण के खसरा क्रमांक 4/1 की भूमि के मूल खसरा नंबर 4 की सीमा रेखा के अंदर विवादित भूमि खसरा नंबर 7/1 त्रुटिपूर्ण दर्शाया गया है। उक्त सीमांकन रिपोर्ट में यह भी लेख है कि मूल खसरा नंबर 4 की सीमा रेखा में संदेह होने की स्थिति में जिला अभिलेखागार बालाघाट मिसल बंदोबस्त सीट वर्ष 1908-1909 प्राप्त कर वर्तमान पटवारी नक्शा व मिसल बंदोबस्त सीट से मिलान करने पर दोनों नक्शों में काफी असमानता एवं त्रुटियां होना पाई गई है, जिसके कारण मौके पर सीमांकन कार्य नहीं किया गया है।

10— वादी लुकराम (वा.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में अभिवचन के अनुरूप कथन किये हैं तथा प्रतिपरीक्षण में यह अस्वीकार किया है कि प्रतिवादीगण की खसरा नंबर 4/1, रकबा 11 एकड़ वाली भूमि है, जिस पर न्यायालय ने उसके विरुद्ध हस्तक्षेप न करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा जारी की है। जबकि वादी साक्षी मेहतर (वा.सा.4) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि पहले के प्रकरण में शंकरलाल वगैरह की खसरा नंबर 4/1, रकबा 11.01 एकड़ भूमि पर लुकराम को हस्तक्षेप करने से न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई है। इस प्रकार प्रतिवादीगण की खसरा नंबर 4/1 की भूमि पर न्यायालय के द्वारा पूर्व में वादी के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने के महत्वपूर्ण तथ्य के संबंध में वादी लुकराम (वा.सा.1) अपनी साक्ष्य में मुकर रहा है।

11— वादी पक्ष की ओर से अपने समर्थन में पुरुषोत्तम (वा.सा.2), चैनसिंह (वा.सा.3) एवं मेहतर (वा.सा.4) की साक्ष्य कराई गई है, जिसमें से साक्षी चैनसिंह (वा.सा.3) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह तथ्य स्वीकार किया है कि विवादित जमीन और प्रतिवादीगण की खसरा नंबर 4/1 की भूमि की सीमा लगी हुई है। शेष विवाद के संबंध में साक्षी ने जानकारी न होना प्रकट किया है। साक्षी मेहतरसिंह (वा.सा.4) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि पूर्व के प्रकरण में प्रतिवादीगण की खसरा नंबर 4/1 की भूमि पर वादी को हस्तक्षेप करने से रोक लगाई गई है। इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसके सामने वादी एवं प्रतिवादीगण को कोई विवाद नहीं हुआ है। पुरुषोत्तम (वा.सा.2) ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि विवादित हस्तक्षेप वाली भूमि पर शंकरलाल वगैरह ने काश्त किया है तथा विवादित भूमि की उत्तर दिशा में खसरा नंबर 4/1 की भूमि लगी हुई है। इस प्रकार वादी के उक्त साक्षीगण ने अपने प्रतिपरीक्षण में प्रतिवादी पक्ष के महत्वपूर्ण तथ्यों को



स्वीकार किया है, जिससे यह प्रकट होता है कि वादी ने विवादित भूमि की वास्तविक चतुर्सीमा से भिन्न चतुर्सीमा दर्शाते हुए यह वाद पेश किया है।

12— प्रतिवादी राधेलाल (प्र.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में अभिवचन के अनुरूप के कथन किये हैं तथा प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि खसरा नंबर 7/1 से लगकर खसरा नंबर 4/1 की भूमि राजस्व नक्शा प्रदर्श पी-6 में दर्ज है। साक्षी का स्वतः कथन है कि उक्त नक्शा त्रुटि पूर्ण है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि खसरा नंबर 4/1 का नक्शा चिन्हित नहीं है, इसलिए विवाद की स्थिति निर्मित है। साक्षी का स्वतः कथन है कि खसरा नंबर 4 में खसरा नंबर 7/1 का नक्शा चढ़ा हुआ है, इसलिए विवाद है। इस प्रकार उक्त साक्षी के कथन का खण्डन वादी पक्ष की ओर से उसके प्रतिपरीक्षण में नहीं किया गया है।

13— वादी ने विवादित भूमि खसरा नंबर 7/1 के उत्तर में प्रतिवादीगण की भूमि न होने का अभिवचन कर साक्ष्य पेश की है, जबकि प्रतिवादीगण का यह अभिवचन है कि उक्त विवादित भूमि के उत्तर दिशा में उनकी खसरा नंबर-4/1 की भूमि स्थित है, जिसे वादी ने उल्लेख न कर विवादित भूमि की गलत चतुर्सीमा का वर्णन कर वाद पेश किया है। उभयपक्ष की साक्ष्य से स्पष्ट हो जाता है कि वादी की उत्तर दिशा में प्रतिवादीगण की खसरा नंबर 4/1 की भूमि स्थित है। यद्यपि उभयपक्ष के द्वारा प्रस्तुत राजस्व नक्शा में परस्पर विरोधाभासी स्थिति प्रकट होती है। प्रकरण में उभयपक्ष की साक्ष्य से यह भी स्पष्ट होता है कि वादी के द्वारा दर्शित विवादित भूमि के चतुर्सीमा में प्रतिवादीगण का बिज काशत हैं। ऐसी दशा में यह अधिसंभावना प्रकट होती है कि वादी का विवादित भूमि की दर्शित चतुर्सीमा वाले भू-भाग पर आधिपत्य भी नहीं है। वादी ने उक्त भू-भाग का प्रतिवादीगण से रिक्त आधिपत्य दिलाए जाने का अनुतोष की मांग नहीं की है। इस प्रकार उक्त भू-भाग पर वादी का आधिपत्य न होने से मात्र स्थाई निषेधाज्ञा का दावा प्रचलन योग्य नहीं है।

14— उपरोक्त संपूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि वादी ने विवादित भूमि का राजस्व नक्शा त्रुटिपूर्ण होने से उक्त त्रुटि को राजस्व न्यायालय से दुरुस्त कराए बगैर विवादित भूमि की गलत चतुर्सीमा उल्लेख कर यह वाद स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत नहीं किया है। वादी ने विवादित भूमि की जिस चतुर्सीमा पर प्रतिवादीगण के द्वारा कथित हस्तक्षेप किया जाना प्रकट किया है, उक्त भू-भाग पर

वादी का आधिपत्य होना भी प्रकट नहीं होता है। वादी के द्वारा इस वाद के प्रस्तुति के पूर्व वादी के आधिपत्य की भूमि पर प्रतिवादीगण के कथित हस्तक्षेप किये जाने के संबंध में पुलिस को कोई शिकायत किया जाना प्रकट नहीं होता है। इस प्रकार वादी ने वादपत्र में विवादित भूमि की दर्शित चतुर्सीमा वाले भू-भाग पर प्रतिवादी क्रमांक-1 से 4 के द्वारा कथित अवैध हस्तक्षेप किया जाना प्रमाणित नहीं किया है। अतएव वादप्रश्न क्रमांक-1 "प्रमाणित नहीं" के रूप में निराकृत किया जाता है।

### सहायता एवं व्यय

15— वादी ने अपना वाद प्रमाणित नहीं किया है। अतएव वादी का वाद निरस्त करते हुए निम्नानुसार आज्ञाप्ति पारित की जाती है :—

(1) वादी का वाद निरस्त किया जाता है।

(2) वादी अपने साथ प्रतिवादीगण का भी वाद व्यय वहन करेगा तथा अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर नियमानुसार देय होगी।

उपरोक्तानुसार आज्ञाप्ति तैयार की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर के  
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,  
बैहर

(सिराज अली)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर के  
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश  
वर्ग-2, बैहर